न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5969/2003/चित्तोड़गढ़

1– नाथूलाल पुत्र लाला निवासी विनायका हाल पारसोली तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तोड़गढ़।

..... अपीलांट

बनाम

1– लाला पिता रूपा कलाल – फौत (तर्क किया गया)
2– सुरेश कुमार पिता गणपतलाल नाबालिग जरिये दादा लाला पिता रूपा कलाल,
3– मदनलाल पिता भैरूलाल कलाल,
4– लक्ष्मीलाल पिता भैरूलाल कलाल,
5– मोहनलाल पिता भैरूलाल कलाल,
6– मु0 हगामी बाई बेवा भैरूलाल कलाल,
7– बगदीराम गोदपुत्र भागचन्द कलाल, सभी निवासीगण विनायक तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तोड़गढ़।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़ी सादड़ी जिला चित्तोडगड़।

..... रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री पूर्णा शंकर दशौरा, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांक : 23–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–08–2003 अपील सं0 114/2001 बउनवान नाथूलाल बनाम लाला के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ी सादड़ी के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि मौजा विनायका के खाता सं0 227 की आराजी नं0 342 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिसमें वादी का 1/9, प्रतिवादी–1 का 1/9 तथा प्रतिवादी–2 का 1/9, प्रतिवादी सं0 3 से 6 का संयुक्त 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 7 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी–1 वादी का पिता है तथा कर्ता खानदान होने से

आराजीयात राजस्व रेकार्ड में उसी के नाम अंकित है। इस नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात को हस्तान्तरित करने पर उतारू हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने वाद में अंकित कथनों से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को सुनकर तनकियात कायम करते हुए दिनांक 21–3–2001 को प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वाद्रस्त आराजी प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति होने व प्रतिवादी द्वारा समस्त चल अचल सम्पति का पहले से ही बंटवार कर देने से वादी वाद ग्राम विनायका जायदाद बाबत किसी तरह की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है जिस निर्णय व डिक्री की अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–8–2003 से अस्वीकार कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि वादी/अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक कहते हुए अपना हिस्सा बताया तथा उक्त हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित कराने एवं विभाजन करने हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसका जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 ने ही प्रस्तुत किया एवं प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में मात्र उसने यह वर्णि किया कि ख0 नं0 368 प्रतिवादी ने खरीद कर वादी को दिया जिस पर वादी ही काबिज है एवं उसका ही कब्जा है। वादी ने मिथ्या वाद पेश किया है अर्थात उसने काउन्टर क्लेम में कोई क्लेम वादी के विरूद्ध नहीं बताया एवं ना ही मांगा। काउन्टर क्लेम वाद में सम्मिलित भूमि के संबंध में ही किया जा सकता है। वाद में ख0 नं0 368 सम्मिलित नहीं है फि भी प्रतिवादी ने उसके संबंध में जो तथाकथित काउन्टर क्लेम में वर्णन किया। ऐसा वर्णन कानूनन पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक भूमि है और जब आराजी पैतृक है तो उनका विधिक दायित्व था कि वे उपलब्ध शहादत के आधार पर वादी का वाद डिक्री कर देते। मात्र उसकी ओर से मौखिक शहादत प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता

है। परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख पर निर्मित तनकियात एवं शहादत को दरकिनार करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि 40–50 साल पूर्व क्रय की गई थी, जब वादी नाबालिग था। इसलिए उसकी आय से भूमि क्रय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी–1 ने वादी की नाबालिग अवस्था में 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि क्रय की जो वादी को दी गई। ऐसी स्थिति में अन्य भूमि स्वअर्जित होने से वादी का कोई हक नहीं बनता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही एवं उचित निर्णय पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया ।

7– प्रश्नगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–3–2001 में अंकित किया है कि मौखिक गवाहों ने अपने बयानों में प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम की ताईद की है। पूर्व बंटवारा व वादी के नाम अलग से भूमि खरीद कर देना ताईद किया हैं। स्वयं प्रतिवादी लाला ने अपने बयान में अपने काउन्टर क्लेम की ताईद की है। समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया गया है कि (प्रतिवादी द्वारा समस्त चल अचल सम्पति) वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति होने व चल अचल सम्पति का पहले से ही बंटवारा कर देने से वादी का वाद ग्राम बिनायका जायदाद बाबत किसी तरह की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–8–2003 में अंकित किया है कि वादी को प्रकरण में प्रमाणित करना था कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई है परन्तु वह इसे सिद्व करने में असमर्थ रहा है। इतना ही नहीं उसने वादपत्र को कन्टेस्ट नहीं किया। इसके विपरीत प्रतिवादी लाला ने प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को प्रमाणित करा भूमि स्वअर्जित होना तथा विभाजन से नाथूलाल को पूर्व में भूमि अलग से दे देना प्रमाणित कराया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने में कानूनी अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 में आराजी ख0 नं0 342 में श्री लाल पिता रूपा 1/3, मदनलाल, लक्ष्मीनारायण, मोहनलाल पिता भैरूलाल मु0 हमासी बेवा भैरूलाल 1/3 हि0 व कलाल सा0देह एवं ख0 नं0 409 में लाला पिता रूपा 1/2 मदनलाल, लक्ष्मीलाल मोहनलाल पिता भैरा मु0 हगामी बेवा भैरा 1/2 हिस्सा ब0 कलाल सा0देह, ख0 नं0 95, 96/1 एवं 176/11 में श्री लाल पिता रूपा कलाल सा0देह एवं ख0 नं0 409, 420 में मु0 गुलाबो बेवा भागु 1/3, लालिया पिता रूपा 1/3, मदनलाल लक्ष्मीलाल मोहनलाल पिता भैरा मु0 हगामी बेवा भैरा 1/3 कलाल सा0देह का अंकन किया हुआ है। भू–प्रबन्ध विभाग में भूमि मांगू 1/3, लालीया 1/3, भेरीया 1/3 दर्ज है। आराजी नम्बर 469 स्वयं ललीया के नाम पर सम्वत् 1995 में दर्ज है। पारिवारिक विभाजन प्रदर्श–1 में विभाजन नामा सम्वत् 2052 का जिसमें 8 बीघा भूमि वादी नाथूलाल को दी थी। वादी को 8 बीघा के आसरे भूमि देना बताया गया है जिसकी पुष्टि गवाहों ने की है। खण्डनीय इच्छा पत्र प्रदर्श–2 वसीयतनामा दिनांक 31–10–96 का है जिसमें लाला पिता रूपा ने अपनी जमीन श्रीमती प्रेमी पत्नि बेवा श्री गणपतलाल एवं श्री सुरेश नाबालिग जरिये संरक्षक माता मु0 प्रेमी पत्नि बेवा श्री गणपतलाल के नाम की है। प्रदर्श–3 स्वअर्जित सम्पति का विक्रय पत्र दिनांक 16–2–95 का है जिसमें लाला पिता रूपा द्वारा श्री मदनलाल पिता भैरूलाल श्रीमती केसीबाई पत्नि मदनलाल के नाम आराजी ख0 नं0 408, 420 तथा 409 में लाला ने स्वयं का हिस्सा बेच दिया। वादी ने वादपत्र को कन्टेस्ट नहीं किया तथा यह भी सिद्व करने में असफल रहा है कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आड़ से क्रय की गई। प्रतिवादी ने भूमि स्वअर्जित होना, विभाजन से पूर्व वादी को अलग से भूमि देना प्रमाणित कराकर काउन्टर क्लेम सिद्व कराया है जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होते हैं और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) (प्रवीण गुप्ता)

सदस्य सदस्य